फतेहगढ़ पुलिस

पॉक्सो एक्ट में दस वर्ष का कठोर कारावास

फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रेमशंकर ने पाक्सो एक्ट में दोष सिद्ध एक आरोपित को दस वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। इसके साथ ही 80 हजार का जुर्माना भी सुनाया गया है। कंपिल थाना क्षेत्र के एक गांव के ग्रामीण ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। ग्रामीण की बहन 14 फरवरी 2014 को अपने छोटे भाई के साथ गंगा स्नान करने गयी थी। गंगा स्नान के बाद वापस साइकिल से लौट रही थी तभी नाबालिग बेटी को कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी में जबरिया डाल लिया। भाई ने शोर मचाया इस पर आरोपित तेजी से गाड़ी को चलाकर भाग गये। अदालत ने इस मामले में हृदेश को दस वर्ष के कारावास से दंडित किया है।

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

लूट व हत्या में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

32 वर्ष पहले नवाबगंज क्षेत्र में युवक की लूटपाट के बाद की गई थी हत्या

संवाद न्यूज एजेंसी

फर्रुखाबाद। युवक से 32 वर्ष पहले लूटपाट कर उसकी हत्या करने में दो दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक दोषी को 90 हजार व दूसरे पर 75 हजार जुर्माना लगाया गया।

जनपद मैनपुरी थाना भोगांव हुसैनपुर निवासी सत्यभान 23 नवंबर 1991 को नवाबगंज थाना क्षेत्र में काम से आए हुए थे। गांव कलौली के पास बदमाशों ने सत्यभान के सोने-चांदी के जेवर, नकदी लूट ली। विरोध करने पर उसकी हत्या कर शव खेत में फेंक कर चले गए थे।

गांव कलौली के चौकीदार रामनाथ की सूचना पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया था। 12 दिसंबर 1991 को सुघर सिंह भाई सत्यभान को तलाशते हुए नवाबगंज थाने में पहुंचा। हुलिया बताने पर पुलिस ने मृतक के फोटोग्राफ व उसके कपड़े दिखाए। सुघर सिंह ने कपड़े व फोटो देखकर भाई की शिनाख्त कर ली। पुलिस ने सुघर सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया।

विवेचक ने मजनू कहार, करू उर्फ दीपचंद्र, लखपति धानुक, मान सिंह कहार के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मान सिंह कहार व मजनू कहार की मौत हो गई। मुकदमे की सुनवाई कर रहे एंटी डकैती न्यायाधीश विष्णु कुमार ने 21 फरवरी को आरोपी करू उर्फ दीपचंद्र व लखपति धानुक को गवाह व साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार किया था। गुरुवार को न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

दोषी लखपत को 90 हजार व करू उर्फ दीपचंद्र को 75 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 10 वर्ष की कैद

संवाद न्यूज एजेंसी

फर्रुखाबाद। किशोरी को ले जाने व दुष्कर्म के मामले में दोषी को कोर्ट ने दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 80 हजार रुपये जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है।

कंपिल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी भाई के साथ 14 फरवरी 2014 को गंगा स्नान करने के बाद साइकिल से घर लौट रही थी। पुलिया के पास जनपद कासगंज थाना गंजडुडवारा गांव

80 हजार रुपये लगाया जुर्माना, न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास

नगला भवानी निवासी हदेश, महावीर, चंद्रपाल, देवराज, प्रवेश बोलेरो से वहां पहुंचे। इन लोगों ने किशोरी को जबरन बोलेरो में बैठाया और लेकर चले गए।

बड़े भाई ने हदेश सहित पांचों लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने किशोरी को खोजकर कोर्ट में बयान कराए। उसके बयान के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। विवेचक ने हदेश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रेमचंद्र ने 20 फरवरी को गवाह व साक्ष्यों के आधार पर हदेश को दोषी करार किया था। गुरुवार को न्यायाधीश ने दोषी को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। 80 हजार रुपये जुर्माना जमा करने का आदेश दिया। जुर्माना नहीं जमा करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

हत्या व लूट में दो बदमाशों को आजीवन कारावास

न्यायाधीश ने 1.85 लाख जुर्माना लगाया, 32 वर्ष बाद न्यायालय से सुनाया गया फैसला

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : जनपद मैनपुरी के भोगांव क्षेत्र निवासी ग्रामीण की 32 वर्ष पूर्व नवाबगंज क्षेत्र में बदमाशों ने लूटपाट के बाद हत्या कर दी थी। उनका शव जंगल में पड़ा मिला था। इस मामले में एंटी डकैती न्यायालय के विशेष न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। गुरुवार को न्यायाधीश ने दोनों बदमाशों को हत्या में आजीवन कारावास व 1.85 लाख जुर्माना की सजा सुनाई।

नवाबगंज क्षेत्र के गांव कक्योली निवासी चौकीदार रामनाथ ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। कुछ दिन बाद जनपद मैनपुरी थाना भोगांव के गांव हुसैनपुर निवासी सुघर सिंह अपने भाई की तलाश में आए। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके भाई सत्यभान की ससुराल गांव मिल्क मौज मुल्ला में है। वह अपनी ससुराल आते जाते रहते थे। 22 नवंबर 1991 को वह और उनके भाई सत्यभान अलग-अलग साइकिल से नवाबगंज आए थे। काम निपटाकर वह अपने घर चले गए और भाई सत्यभान ससुराल चले गए। कुछ दिन बाद जब वह

भाई से मिलने उनकी ससुराल पहुंचे तो पता चला कि वह वहां नहीं आए। आशंका होने पर खोजबीन की, तो पता चला कि पास के ही एक जंगल में एक अज्ञात शव मिला था। इस पर वह थाने पहुंचे। पुलिस ने बताया कि उन्होंने फोटो खिंचवाई और कुछ कपड़े भी सुरक्षित रखे हैं। फोटो व कपड़े देखकर उन्होंने सत्यभान की शिनाख्त की।

पुलिस ने विवेचना के बाद शुकरुल्लाहपुर निवासी लखपति, करू उर्फ दीपचंद्र, मजनू व मानसिंह के खिलाफ न्यायालय में हत्या, लूट व साक्ष्य मिटाने के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान एडीजीसी केके पांडेय, संजीव मिश्रा, भानु मिश्रा व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने लखपति व दीपचंद्र को हत्या, लूट आदि में दोषी करार दिया था। न्यायाधीश ने अभियुक्त करू उर्फ दीपचंद्र व लखपति को हत्या में आजीवन कारावास व 50-50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अलावा अपहरण में दस की कैद व 20-20 हजार जुर्माना और लूट में दस साल की सजा व 20-20 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है। अभियुक्त दीपचंद्र को बरामदगी के मामले में भी तीन साल की कैद व पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद के आदेश दिए।

जानलेवा हमले में दो भाइयों पर दोष सिद्ध

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : रुपयों का तकादा करने पर जानलेवा हमला करते हुए मारपीट करने के आरोप में दो भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश्य ने दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव डूंगरपुर निवासी राजवीर ने एक फरवरी 2006 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि उनका भाई अनिल मोहम्मदाबाद में मिठाई की दुकान किए है। गांव के संतोष ने 250 रुपये की मिठाई उधार ली थी। तकादा करने पर संतोष व उसके भाई दिनेश ने मारपीट कर फायरिंग कर दी। इससे उनका भाई अनिल गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान अन्य लोगों के भी चोटें आईं।

अपहरण व दुष्कर्म करने वाले को दस वर्ष की सजा

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : गंगा स्नान कर भाई के साथ घर जाते समय 11 वर्ष पूर्व वाहन सवार लोगों ने किशोरी का अपहरण कर लिया था। आरोपित के कब्जे से किशोरी को बरामद कराया गया। पूछताछ में अपहरण के बाद दुष्कर्म करने की बात सामने आयी। इस मामले में पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रेमशंकर ने एक अभियुक्त को दोषी करार दिया था। गुरुवार को न्यायाधीश ने दोषी को दस वर्ष की कठोर कैद व 80 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद के भी आदेश दिए। कंपिल क्षेत्र निवासी ग्रामीण ने 17 फरवरी 2014 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि 14 फरवरी को उनकी 14 वर्षीय पुत्री गंगा स्नान कर भाई के साथ घर आ रही थी। गांव भवानी नगला के निकट जनपद कासगंज थाना गंजडुंडवारा के गांव नगला भवानी निवासी हदेश, महावीर, चंद्रपाल, देवराज व प्रवेश के साथ वाहन से आया और पुत्री का अपहरण कर ले गया। कुछ दिन बाद पुलिस ने आरोपित हदेश के कब्जे से किशोरी को बरामद कर लिया। बयान के आधार पर विवेचक ने हदेश के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म आदि की धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया। इस मामले में सुनवाई के दौरान एडीजीसी प्रदीप सिंह, विकास कटियार, अनुज कटियार व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त हदेश को अपहरण व दुष्कर्म में दोषी करार दिया था। हदेश को दुष्कर्म में दस वर्ष की कैद व 50 हजार जुर्माना, अपहरण में पांच वर्ष की कैद व 15 हजार जुर्माना और बहला फुसलाकर ले जाने में पांच साल की सजा व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। वहीं पीड़िता को पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रतिकार के रूप में मुआवजा दिलाए जाने के लिए आदेश दिए गए है।

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

छात्राओं को सुरक्षा को लेकर किया जा रहा जागरूक।

अपराधों के प्रति किया गया जागरूक

फर्रुखाबाद। जिले भर में गुरुवार को अभियान चलाकर महिला सुरक्षा विशेष दल की ओर से महिलाओं और छात्राओं को जागरूक किया गया। उन्हें हेल्पलाइन नंबर बताए गए। कहा गया कि वह घर से आराम से निकलें। किसी से कहीं डरने की जरूरत नहीं है। कही पर कोई परेशान कर रहा हो तो पुलिस को तुरंत जानकारी दें। पुलिस हर समय सुरक्षा के लिए तैयार है।

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

होली पर बख्शे नहीं जाएंगे हुड़दंगी: सीओ अरुण कुमार

कहा-होली प्रेम व सौहार्द का पर्व नफरत और घृणा कर करें दहन

यूथ इण्डिया संवाददाता।

मोहम्मदाबाद। कोतवाली परिसर में सम्पन्न हुई पीस कमेटी की बैठक में क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद अरुण कुमार ने सम्भ्रान्त नागरिकों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया और कानून का भय भी दिखाया। सीओ ने साफ लहजे में कहा होली पर हुड़दंगी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे।

थाना मोहम्मदाबाद में गुरुवार दोपहर 12ः00 बजे से होली त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र के संभ्रांत लोगों तथा प्रधानों के साथ पीस कमेटी की बैठक की गई। बैठक में उपस्थित लोगों से सीओ मोहम्मदाबाद अरुण कुमार ने कहा कि होली आपसी प्रेम और सद्भावना का त्योहार है। होलिका में नफरत और घृणा को दहन कर प्रेम और सौहार्दपूर्वक होली मनाएं। सीओ ने कहा कि आप लोग अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय होकर होली को प्रेम के साथ मनाए जाने हेतु लोगों को जागरूक करें। साथ ही यह देखें की होली किसी नई जगह तो नहीं रखी जा

रही या फिर ऐसे स्थान पर रखी है जो विवादित है तथा वहां ह पर कोई ऐसी वस्तुएं तो नहीं है जिससे कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। यदि हो सके तो होली के पास एक पानी का टैंकर की व्यवस्था करें। साथ ही कहा कि होली के दूसरे दिन शराब पीकर बाइकों से हुड़दंग काटने वाले लोगों पर पुलिस की टेढ़ी नजर रहेगी। ऐसे लोगों को पकड़कर उनका वाहन सीज कर सख्त कार्यवाही की जाएगी तथा साथ ही बताया कि सार्वजनिक जगहों पर डीजे पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। वहीं अश्लीलता फैलाने वाले गाने बजाने वालों तथा डीजे मालिक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा उनका डीजे जप्त कर लिया जाएगा।

सीओ मोहम्मदाबाद ने बैठक में आए लोगों से अपील की कि कोई भी व्यक्ति त्योहार पर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसकी सूचना पुलिस को दें, सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी तथा नाम बताने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानों को अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में बैठक कर होली को सौहार्द पूर्वक मनाने की अपील करनी चाहिए। सीओ ने प्रधानों से कहा बिजली का बिल समय से जमा कराने तथा त्योहारों पर हुड़दंग न मचाने को लेकर लोगों को जागरूक करें। सीओ मोहम्मदाबाद ने प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार चौबे को निर्देशित करते हुए कहा कि होली त्योहार पर अति संवेदनशील जगहों को चिन्हित कर पुलिस फोर्स तैनात करें तथा त्योहार पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले दुपहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान लगाकर माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही करें। इस मौके पर प्रधान जाहर सिंह प्रधान, आदित्य यादव प्रधान, रूप सिंह प्रधान, सेवाराम कठेरिया, अशोक कुमार, सुनील कुमार, राकेश सब्बली कौशल, जेई बिजली विभाग अजय सिंह तथा एसडीओ बिजली विभाग विकास समेत लगभग आधा सैकड़ा लोग उपस्थित रहे।

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

होली त्योहार पर शांति व्यवस्था बनाएं रखने की अपील

यूथ इण्डिया संवाददाता,

शम्साबाद/फर्रुखाबाद। होली के त्योहार को लेकर थानाध्यक्ष ने संभ्रान्त नागरिकों को थाने बुलाकर पीस कमेटी की बैठक की। जिसमें गंगा जमुनी की तहजीब के साथ शांति व्यवस्था कायम रखते हुए त्योहार को मनाने की अपील की गई है, वहीं बैठक में नागरिकों ने अपनी-अपनी समस्याओं को गिनाया है।

जानकारी के अनुसार होली का पवित्र त्योहार जो नजदीकियों की ओर है इस पवित्र त्यौहार को शांति के माहौल में मनाए जाने को लेकर गुरुवार को चिलसरा चौकी प्रभारी के नेतृत्व में शांति कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में सभी लोगो से होली का त्योहार शांति के माहौल में मनाने की अपील की बैठक में मैजुद लोगो ने अपनी अपनी समस्याएं रखी तथा सभी समस्याओं के निदान की बात कही गयी बैठक में होली जैसे पवित्र त्योहार की गरिमा बनाये रखने तथा पूर्ण रूप से निगरानी तथा निरोधात्मक कार्य करने का आश्वासन दिया गया।

बैठक में चिलसरा चौकी प्रभारी ने उच्चाधिकारियों के आदेशों के अंतर्गत कार्य कराने की बात कही बैठक में चौकी प्रभारी चिलसरा के अलावा तमाम संभ्रांत लोग मैजुद रहे

मीडिया सेल